

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1372/15

संस्थित दिनांक-26.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-मालनपुर

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

मिथुन उर्फ राहुल पुत्र दीपक शर्मा उम्र 25 साल

निवासी निम्माजी की खो, लक्ष्मीगंज

लश्कर ग्वालियर म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 19.04.2017 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 01.12.15 को 18 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड हरीराम की कुईया थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर कार क्रमांक एम0पी0-07 टी0सी0-0015 को सार्वजनिक स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी/आहत द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर अभियुक्त को भादवि0 की धारा 337, 338 का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी सोनेराम दिनांक 01.12.15 को सांय करीब 6 बजे मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-06 एम0ए0-4456 डिस्कवर से रिकू वाल्मीक व पिल्लू वाल्मीक के साथ कैडबरी फैक्ट्री तरफ जा रहा था तभी एक लाल रंग की कार के चालक ने पीछे से तेजी व लापरवाही से आकर मोटरसाईकिल में टककर मार दी जिससे तीनों लोग मोटरसाईकिल से गिर पड़े, कार नंबर एम0पी0-07 टी0सी0-0015 थी। आहतगण को पैर में चोट आई। उक्त आशय की सूचना से अप0क्र0-197/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटना स्थल का नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य न होने से दफ़्त की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.12.15 को 18 बजे भिण्ड ग्वालियर रोड हरीराम की कुईया थाना मालनपुर जिला भिण्ड पर कार क्रमांक एम0पी0-07 टी0सी0-0015 को सार्वजनिक स्थान पर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सोनेराम अ0सा0 1, पिल्लू अ0सा0 2 तथा रिकू अ0सा0 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी सोनेराम अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि घटना करीब एक सवा साल पहले सर्दियों के शाम सात बजे की है। वे अपनी मोटरसाईकिल से रिकू एवं पिल्लू के साथ कैडबरी फैक्ट्री तरफ जा रहे थे और हरीराम की कुईया के पास पहुंचे तो वहां एक काले रंग की कार के चालक ने मोटरसाईकिल में टककर मार दी। उसके बाद उन्होंने वे लोग रिपोर्ट करने थाना मालनपुर गए थे। साक्षी यह बताता है कि दुर्घटना में रिकू व पिल्लू को थोड़ी चोट आई थी जिनकी डाक्टरी गोहद अस्पताल में हुई थी। अपने मुख्य परीक्षण में अभिकथित दुर्घटना कारित करने वाली कार का कोई नंबर व उसके चालक को बताने में अस्मर्थ हैं। पिल्लू अ0सा0 2 भी सोनेराम अ0सा0 1 के कथनों के समान ही एक काले रंग की कार द्वारा मोटरसाईकिल में टककर मार देने का कथन करते हैं किन्तु यह साक्षी भी कथित गाडी का नंबर न देख पाने और न ही उसके चलाने वाले को देख पाने का कथन करते हैं। साक्षी रिकू अ0सा0 3 अपने अभिसाक्ष्य में बताते हैं कि हरीराम की कुईया के पास जब उनकी मोटरसाईकिल पहुंची तभी बिना नंबर की काले रंग की कार ने उनकी मोटरसाईकिल में ठोकर मार दी। प्रकरण में उक्त तीनों साक्षी सर्वोत्तम साक्षी हैं जो अभिसाक्ष्य में कथित कार का नंबर व उसके चालक के संबंध में कोई भी तथ्य बताने में अस्मर्थ हैं।

8. फरियादी सोनेराम अ0सा0 1 को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कर सूचक प्रश्नों में कार नंबर एम0पी0-07 टी0सी0-0015 पढ लेने और रिपोर्ट प्रपी0 1 में बी से बी भाग में लिखाए जाने का सुझाव दिया गया तो साक्षी ने उक्त तथ्य से इंकार किया है। साथ ही कथित कार के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर टककर मार देने के तथ्य से भी इंकार किया है। पिल्लू अ0सा0 2 भी अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्नों में कार का नंबर और उसके उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य से इंकार करते हैं। रिकू अ0सा0 3 सूचक प्रश्नों में अ0सा0 1 व अ0सा0 2 के समान ही कथित कार

का नंबर व उसके चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य का सुझाव दिए जाने पर इंकार करते हैं। उक्त तीनों ही साक्षियों द्वारा पुलिस कथन क्रमशः प्रपी0 3, 4 व 5 में विनिर्दिष्ट भाग की ओर ध्यान आकर्षित कराए जाने पर भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 145 के अधीन तात्विक विरोधाभास एवं लोप के संबंध में कथन किया गया है।

9. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अ0सा0 1, अ0सा0 2 व अ0सा0 3 सभी साक्षियों द्वारा उनकी मोटरसाईकिल में एक काले रंग की कार द्वारा टक्कर मारने का कथन किया गया है जबकि प्रकरण में जब्त शुदा वाहन जो कि घटना दिनांक 01.12.15 से करीब 20 दिन बाद थाना मालनपुर पर जब्त होना दर्शाया गया है वह लाल रंग की आई 20 कार रजिस्ट्रेशन नंबर एम0पी0-07 सी0डी0-9348 है। अभियोजन की ओर से अभिकथित वाहन के लाल रंग की कार के रूप में दर्शाया गया है जबकि घटना के सर्वोत्तम साक्षियों ने उसे काले रंग की कार के रूप में बताया है जो कि गंभीर संदेह पूर्ण स्थिति को उत्पन्न करता है। आहतगण एवं फरियादी के कथनों में कथित कार द्वारा टक्कर मारने का समर्थन अवश्य किया है किन्तु उसके उपेक्षा व उतावलेपन से चालक द्वारा चलाए जाने के तथ्य का कोई समर्थन नहीं किया है। ऐसे में अभियोजन के मामले में अभियुक्त व कथित कार की संलिप्तता संदिग्ध हो जाती है।

10. अभियोजन की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आहतगण का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है इस कारण से उनका कथन विश्वसनीय नहीं हैं। राजीनामा अभिलेख पर है किन्तु साक्षियों द्वारा कथित राजीनामा के कारण असत्य कथन किए जाने के सुझाव से इंकार किया है। जहां तक प्राथमिकी प्र0पी0 1, पुलिस कथन प्र0पी0 3, 4 व 5 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते। न्यायदृष्टान्त- रवि कुमार वि0 स्टेट ए आई आर 2005 सुप्रीम कोर्ट 1929 की ओर आकर्षित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि एफ आई आर सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है, इसका उपयोग मात्र सूचनाकर्ता के सम्पुष्टि अथवा खण्डन किये जाने के लिये साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अधीन किया जा सकता है। इसी प्रकार से धारा 161 दप्रस के कथनों के संबंध में भी उनका उपयोग केवल विरोधाभास एवं लोप के संबंध में किया जा सकता है। प्रकरण में फरियादी सोनेराम अ0सा01 द्वारा प्राथमिकी प्र0पी0 1 के विनिर्दिष्ट भाग तथा धारा 161 दप्रस के कथनों क्रमशः प्र0पी0 3, 4 व 5 में साक्षियों द्वारा तात्विक विरोधाभास व लोप का कथन किया है ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

11. संहिता की धारा 279 के आरोप को प्रमाणित किए जाने हेतु अभिलेख पर इस संबंध में साक्ष्य होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा लोकमार्ग पर उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन को चलाया जावे। संपूर्ण अभियोजन साक्षियों जो सर्वोत्तम साक्षी थे, उनके द्वारा अभियुक्त के वाहन चलाए जाने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। अभियोजन के सभी साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिए

गए हैं। अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। संदेह का लेशमात्र भी अभियुक्त की घटना में संलिप्तता को खण्डित कर अभियुक्त को संदेह का लाभ दिलाए जाने का आधार होता है। अभियुक्त के आधिपत्य से वाहन के मात्र जब्त हो जाने से यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि उसके द्वारा वाहन लोकमार्ग पर घटना के समय चलाया जा रहा था। अतः अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्तकर दोषमुक्ति का पात्र है। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12. अभियुक्त की जमानत भारहीन की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि हो तो इस संबंध में प्रमाणपत्र बनाया जावे

14. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश